

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) ग्राम पंचायत महानंदपुर ड्योढा

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. सफी पुत्र गफूर खान, जाति गद्दी मुसलमान, निवासी महानंदपुर ड्योढा
2. मोहम्मद इस्लाम खान पुत्र गफूरखान, गद्दी मुसलमान, निवासी महानंदपुर ड्योढा

बनाम

1. अनीस पुत्र मजीद खॉ, जाति गद्दी मुसलमान, निवासी महानंदपुर ड्योढा
2. नसीर पुत्र मजीद खॉ, जाति गद्दी मुसलमान, निवासी महानंदपुर ड्योढा
3. चांद मोहम्मद पुत्र मजीद खॉ, गद्दी मुसलमान, निवासी महानंदपुर ड्योढा
4. अशरफी पत्नी मजीद खॉ, गद्दी मुसलमान, निवासी महानंदपुर ड्योढा
5. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर, तहसीलदार, वजीरपुर

मुकदमा नं. — 86/2016

निर्णय की दिनांक —25.06.2018

वादीगण की ओर से स्वयं सफी, मो० इस्लाम खॉन एवं प्रतिवादीगण की ओर से स्वयं अनीस, की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 25.06.2018 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

दावा वादीगण नया दावा पेश करने की छूट के साथ विद्वावल के आधार पर खारिज किया जाता है।



मुनिदेव यादव  
सहायक कलेक्टर  
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शा के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	